यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार के माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 18.08.2018 से 30.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखा परीक्षा दिनांक 01.8.17 से14.8.17 की अवधि में श्री रामवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री ए. सी. कटियार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्येवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमे माह 07/2016 से 06/2017 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 7/2018तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(अ) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** ग्रामीण निर्माण विभाग के अधीन प्रखंड के परिसीमन में आने वाले समस्त क्षेत्र में ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों का सम्पादित किया जाना।

(ब) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रा. अवशेष		आवंटन		व्यय		बचत / अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर-स्थापना	स्थापना	गैरस्थापना	स्थापना	गैरस्थापना	स्थापना	गैरस्थापना
2015-16	0.00	819.11	201.22	1424.71	146.56	905.54	54.66	1338.28
2016-17	0.00	1338.28	190.08	840.73	184.00	865.46	6.08	1313.55
2017-18	0.00	1313.55	214.77	433.05	210.90	744.78	3.87	1001.82
2018-19 uptojuly 2018	0.00	1001.82	233.01	36.61	76.81	201.96	156.20	836.47

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन सचिव ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई, "ए"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न हैः

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय,अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड कोटद्वारको आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- खण्डित अनुबन्ध की जमानत राशि रु. 5.36 लाखका राजसात नहीं किये जाने तथा त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध के कारण अर्थदण्ड की राशि रु.2.22 लाख अवरुद्ध नहीं किये जाने के परिणामस्वरुप विभागीय हानि रुपये 7.58 लाख ।

जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जनपद पौड़ी गढ़वाल (ग्राहक विभाग) तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, अव ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- कोटद्वार (निर्माण एजेंसी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन दिनांक 21 मार्च 2013 को, राजकीय उच्तर माध्यमिक विद्यालय रैंस, विकास खण्ड द्वारीखाल,पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु गठित किया गया था जिसमे निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत रुपये 58.82 लाख तथा कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 15 माह विलेखित की गई थी । **विलेख के विन्दु संख्या 16(b) के अनुसार निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतुकुल अवधि अथवा कार्य की प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बंधित ठेकेदार से की जानी थी जिसे निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राहक विभाग को वापस किया जानाउल्लेखित था ।**

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि, जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जनपद पौड़ी गढ़वाल (ग्राहक विभाग) के पत्रांक- रा.मा.शि.अ./1578-81/ निर्माण कार्य/लेखा/2012-13 दिनांक 28 मार्च 2012 द्वारा रुपये 22675000 की धनराशि चैक संख्या 004966 के माध्यम से कुल 08 निर्माण कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड कोटद्वार के पक्ष में प्रेषित की गई थी जिसमें राजकीय उच्तर माध्यमिक विद्यालय रैंस, विकास खण्ड द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु एम.ओ.यू. के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 29.41 लाख सम्मिलित थी ।

भवन निर्माण कार्य का अनुबन्ध संख्या-06/अधी.अभि./2013-14 /दिनांक 22.08.2013 मु.53,61,599 रु.मात्र का मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला,जी-131ए राजनगर पालम कालोनी, नई दिल्ली के नाम गठित किया गया था ।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 22.08.2013 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 21.08.2014 थी। परन्तु कार्य अनुबंधित तिथि तक पूर्ण नहीं किया गया और रुपये **14,68,013** का भुगतान प्राप्त कर ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने की स्थिति में अनुबन्ध की शर्तानुसार पूर्ण जमानत धनराशि (5% परफार्मेंस सिक्योरिटी रु. 268080+5% सिक्योरिटी डिपाजिट रु. 268080) कुल रु. 536160 का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित था।

ग्राहक विभाग तथा निर्माण एजेंसी के मध्य विलेखित हुए समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 16(b) के अनुसार कार्य की प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बंधित ठेकेदार से की जानी थी। तदनुसार विभाग द्वारा निम्न सारणी के अनुसार कटौती की धनराशि सम्बंधित ठेकेदार से वसूल की जानी अपेक्षित थी ।

सारणी-1

अवधि	एम.ओ.यू.के अनुसार विलम्ब की स्थिति में ठेकेदार से की जाने वाली कटौती				योग
	0.1%	धनराशि	0.25%	धनराशि	
21.08.14 से20.11.14	5361599	5361.599x3	--	--	16085
21.11.14 से 22.09.16	--	--	5361599	13404x22	294888
विलम्ब की स्थिति में ठेकेदार से की जाने वाली कुल कटौती					310973

परन्तु ठेकेदार द्वारा अनुबंध खंडित किये जाने के पश्चात् विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के परिणामस्वरुप न तो ठेकेदार पर रु. 536160 का अर्थदण्ड अधिरोपित कर जमानत राशि राजसात की गई और ना ही विलम्ब की स्थिति में रुपये 310973 की कटौती सम्बंधित ठेकेदार से कर **विलेख के बिन्दु संख्या 16(b) के अनुसार** ग्राहक विभाग को प्रेषित की गई की गई ।

(ब) आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु पुनः एक अन्य अनुबन्ध संख्या 24 दिनांक 25.03.2017 को जाहिद अहमद ठेकेदार के साथ रुपये 36,03,153 का किया गया जिसमे कार्य प्रारंभ की तिथि 25.03.2017 एवं पूर्ण करने की तिथि 24.01.2018 थी ।

अनुबन्ध स्वीकृति पत्र सं. 1292/ग्रा.नि.वि./अनुबन्ध संख्या-अधि.अभि./मो.मार्ग नि.कार्य/2016-17 दिनांक 25.03.2017 के बिंदु संख्या 7 निर्माण कार्य को **अनुबन्ध में इंगित निर्धारित प्रगति चार्ट के अनुसार प्रगति में लाया जाना अनिवार्य था तथा अन्यथा की स्थिति मेंजी.पी.डब्ल्यू.9 के क्लाज-4 की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जानी** अपेच्छित **थी**। निर्माण कार्य सम्पादन हेतु प्रगति चार्ट का निर्धारण (प्रथम 2.5 माह में 25% 5 माह में 50%,7.5 माह में 75% तथा 10 माह में 100%) किया जाना भी त्रुटिपूर्ण था । प्रभावकारी एवं सख्त नियंत्रण हेतु निर्माण कार्य सम्पादन हेतु प्रगति चार्ट का **दिनांक सहित** निर्धारण किया जाना अपेच्छित था।

जबकि विभाग द्वारा निर्धारित प्रगति चार्ट **दिनांक रहित** था परिणामस्वरुप कार्य पूर्ण की तिथि के पश्चात् 6 माह की विलंबित अवधि व्यतीत हो जाने एवं रुपये 2222460 का भुगतान,पुनर्गठित अनुबन्ध पर किये जाने के बावजूद भी कार्य अपूर्ण था। जहाँ कि निर्धारित प्रगति चार्ट के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ **Miles stone पूर्ण नहीं किये जाने पर** अनुबन्ध की राशि का क्रमश: 2.50%,3.50%,6% तथा 10% भाग जाहिद अहमद ठेकेदार से अवरुद्ध किया जाना प्रावधानित था। परन्तु कार्य अनुबंधित तिथि तक पूर्ण नहीं किया गया और 6 माह की विलंबित अवधि व्यतीत हो जाने के वावजूद भी 10% भाग अवरुद्ध किये बिना ही रुपये **2222460** का भुगतान जाहिद अहमदठेकेदार को कर दिया गया। मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला से रुपये 536160 तथा जाहिद अहमद ठेकेदार से रुपये **222246** कुल रुपये **758406** की वसूली नहीं की गई।

परिणामस्वरुप जहाँ एक ओर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की अपेक्षित पूर्ति नहीं की जा सकी वहीँ दूसरी ओर अर्थदण्ड की वसूली, नहीं किये जाने से रु. 758406 की विभाग को हानि हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला के अनुबन्ध का अभी तक अन्तिमकरण नहीं हुआ तथा देयक सहायक अभियंता द्वारा भुगतान/अन्तिमकरण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर 10%अर्थदण्ड की वसूली रु.536160 प्रस्तावित है ।ग्रामीण निर्माण विभाग परिमंडल पौड़ी के कार्यालय आदेश सं. 780/ ग्रा.नि.वि./अनु.6/अधी.अभि./16-17 दिनांक 08.12.2016 स्वयं का अनुबन्ध होने के कारण खंडित किया गया है**।** उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एम.ओ.यू. की शर्त सं. 16(b) का प्राविधान, विभाग द्वारा; अनुबन्ध में नहीं किया गया जिसके कारण सारणी-1 की धनराशि वसूल किये जाने हेतु ठेकेदार बाध्यकारी नहीं था तथा सारणी-2 के अनुसार प्रगति चार्ट का निर्धारण नहीं किया जाना भी त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरुप प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ **Miles stone पूर्ण नहीं किये जाने पर** अनुबन्ध की राशि का क्रमश: 2.50%, 3.50%, 6% तथा 10% भाग अनुबन्ध संख्या-06/अधी.अभि./2013-14 /दिनांक 22.08.2013 प्रथम ठेकेदार मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला तथा अनुबन्ध संख्या 24 दिनांक 25.03.2017 जाहिद अहमद द्वितीय ठेकेदार का अवरुद्ध नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रथम अनुबन्ध में रुपये 536160 तथा द्वितीय अनुबन्ध में रुपये **222246** कुल **758406 की वसूली** मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला एवं जाहिद अहमद ठेकेदारसे **नहीं किये जाने का** प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर -2- रु. 546.16 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

(i) खंड की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागो द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागो द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 16 माह से लेकर 84 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्य मे से अधिकांश को न सिर्फ अनारम्भ रखा गया था बल्कि जिनमे थोड़ा बहुत कार्ये आरंभ भी हुआ था उनको भी इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 13 विभागो के 58 कार्यों (संलग्नक -1) की रु.452.25 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 07 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

(ii) इसी प्रकार विभाग द्वारा निक्षेप कार्यों के रूप मे किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत निर्माण कार्ये प्रगति संबंधी रिपोर्ट (जुलाई 2018) का अवलोकन करने पर पाया गया कि 11 विभागो के 21 कार्यो को पूर्ण कर लिया गया था (संलग्नक -2),परंतु लेखा परीक्षा अवधि (जुलाई 2018) तक न तो उन कार्यो को हस्तांतरित किया गया था एवं न ही उन कार्यों की अवशेष धनराशि रु.93.91 लाख को संबन्धित विभागों को वापस किया गया था । इस प्रकार कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि कुछ विभागों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने मे देरी करने से एवं कार्ये की पूर्ण धनराशि उपलब्ध न कराने से तथा बार-बार निविदा आमंत्रित किए जाने के वावजूद किसी ठेकेदार के न आने से कार्यों को आरंभ करने/पूर्ण करने मे देरी हो रही है। खंड द्वारा कार्यों को शीघ्र आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, , तथा पूर्ण कार्यों की अवशेष धनराशि को शीघ्र ही संबन्धित विभागो को लौटने की कार्यवाही की जा रही है ।

इकाई का उत्तर स्वीकार्ये नहीं है क्योकि संलग्नक -1 के कार्यों हेतु धनराशि विगत 16 माह से लेकर 84 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी, इनमे से अधिकांश कार्यों को लेखा परीक्षा अवधि (जुलाई 2018) तक आरंभ ही नहीं किया गया था एवं जिनमे कुछ कार्ये किया गया था वे लंबे समय से अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे । इसी प्रकार लेखा परीक्षा अवधि मे (संलग्नक -2 के अनुसार) 11 विभागों के 21 निर्माण कार्यों को 01 माह से लेकर 05 वर्ष की अवधि पूर्व ही पूरा किया जा चुका था परंतु इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी इन कार्यों की अवशेष धनराशि को संबन्धित विभागों को वापस न कर अवरुद्ध रखा गया था । इस प्रकार इकाई

द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत कुल रु. 546.16 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

विभाग का नाम	निर्माण कार्य का नाम	धनराशि प्राप्ति कामाह	6/2018 तक उपलब्धधनराशि
पर्यटन विभाग	पर्यटन कार्यालय कोटद्वार के स्टाफ कुवाटर्स	07/2011	306531
	मार्गीय सुविधा वीरोंखाल का निर्माण	07/2011	226457
	मेदनीपुर मंदिर का सौंदर्येकरण	07/2011	390544
	शिव मंदिर कुंडेला का जीर्णोध्वार	07/2011	246000
	ग्रामसभा ग्रसटनगंज मे पार्क निर्माण	01/2016	467801
	नीलकंठ महादेव मे झरने का विकास	01/2016	524320
	ग्राम गेडगढ़ मे मंदिर के समीप निर्माण	03/2017	200000
दैवी आपदा	प्रा0 पाठशाला तोल्यूडांड का पुनर्निर्माण	07/2011	328179
	प्रा0 विध्यालय डाबराड का पुनर्निर्माण	07/2011	205215
ग्राम्य विकास	विकासखंड द्वारीखाल कार्यालय भवन का निर्माण	07/2011	1179277
	कार्यालय भवन यमकेशवर का निर्माण	03/2012	322145
	खंड विकास अधिकारी कार्यालय निर्माण वीरों खाल	11/2013	3928913
	विकास खंड दुगगड़ा मे आवासीय भवन	07/2011	302207
	आवासीय भवन नैनीडांडा का निर्माण टाइप -3	10/2015	587951
	कार्यालय भवन जहरीखाल का निर्माण	12/2016	1000000
	आवासीय भवन टाइप -4 जहरीखाल	03/2017	1200000
	आवासीय भवन टाइप -2 यमकेशवर	03/2017	643520
राजस्व विभाग	राजस्व निरीक्षक चौकी का निर्माण (नैनीडांडा)	07/2011	296365
	राजस्व निरीक्षक चौकी का निर्माण (खिरनी खाल)	07/2011	333384
	ई0 डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोटद्वार	09/2011	196579
शिक्षा विभाग	रा0 इं0 कॉ0 जहरीखाल की मरम्मत	07/2011	538592
	रा0 कं0 उच्च0 मा0 विध्यालय कोटरी मे कलाकक्ष	09/2011	222616
	रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय वमनगाँव मे कलाकक्ष	09/2011	350798
	रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय कुमाल्डी मे कलाकक्ष	09/2011	258510
	रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय जिनेई मे प्रयोगशाला	09/2011	289073
	रा0 उच्च0 मा0 विध्यालयवोडगाँवमेप्रयोगशाला	09/2011	191438
	घनश्याम इंटर कालेज आसनखेत	09/2011	345306
	रा0जू0हा0इं0 कालेज कांडा मुख्यभवन	03/2012	194595
	रा0जू0हा0इं0 कालेज हर्शु मुख्यभवन	03/2012	404041
	रा0उच्च0मा0 विध्यालय भामरईखालवीरोंखाल	03/2012	304193
	रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय पड़ेड़ा मे कक्षाकक्ष	03/2012	628976
	रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय चोर खिंडा मे कक्षाकक्ष	03/2012	350280
	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्या ० निर्माण रिखानिखाल	02/2013	227937
	रा0 उच्च0 मा0 विद्यालय कोटा मुख्य भवन	04/2013	467547
	रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयतल्लाबनासमुख्य भवन	04/2013	647522
	रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयरैंस मुख्य भवन	04/2013	1776033
	रा० इ० का० शकरपुर कक्षकक्ष का निर्माण	05/2013	818000

	रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयपुंडर गाँव जहरिखाल	05/2014	288751
	खण्ड शिक्षा अधिकारीनैनिदांडा	05/2014	370686
	खण्ड शिक्षा अधिकारीजहरीखाल	05/2014	1311592
	खण्ड शिक्षा अधिकारीद्वारीखाल	05/2014	569917
	रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयचिलाऊ मुख्य भवन	06/2014	3290068
पुलिस	फायर स्टेशन कोटद्वार का निर्माण	07/2011	2602611
चिकित्सा	रा० एलोपैथिक चि० कांडी के मु० प्रा० भवन	11/2013	1786687
	प्रा० स्वा० केंद्र वडियार गाँव का निर्माण	08/2016	4247242
आयुर्वेदिक	रा० आयु० चि० देवीखेत(द्वारीखाल)	11/2011	439770
	रा० आयु० चि०ठौंड में आवासीय भवन	09/2013	355231
	रा० आयु० चि०शकरपुरका अना० भवन निर्माण नैनिदांडा	09/2013	1369678
पशुपालन	पशु० चिकि० दुगड्डा का निर्माण	07/2011	176204
	पशु चिकि० सतपुली आवासीय भवन टाइप -4	05/2015	255351
	पशु सेवा केंद्र सार का निर्माण	11/2013	539507
	पशु चिकि० वीरोंखाल में अना० भवन	04/2013	231653
	पशु चिकि० रिखणीखाल में आवा० भवन	03/2016	811316
संस्कृति निदेशालय	कोटद्वार में प्रेक्षाग्रह निर्माण कार्य	07/2011	1591505
उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ाक्षेत्रविकासनिधि	पशुधन प्रसार केंद्र सल्ट महादेव	06/2014	975000
	फतेहपुर बाजार में सिगाड़गधेरे में पुलियानिर्माण	06/2014	278178
खेल	कोटद्वार में स्पोर्ट्स स्टेडियम का चौडीकरण व अन्यकार्य	07/2016	1505210
खाद्यान्न विभाग	राजकीय अन्न भंडार दुगड्डा का मरम्मत कार्य	09/2016	1327781
योग			**4,52,24,783**

(रूपये मे)

SS1/092/18-19

संलग्नक -2

(लाख रु. मे)

विभाग का नाम	कार्य का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	पूर्ण होने का माह
ग्राम्यविकास विभाग	आवासीय भवन टा०-तीन(2-न०)नैनिदांडा	34.00	28.14	5.86	10/2017
	आवासीय भवन टा०-दो(2-न०)नैनिदांडा	27.00	23.15	3.85	10/2017
आयुर्वेद विभाग	रा०आयु०चिकि०जोगिमणि का निर्माण (बीरोंखाल)	36.85	24.44	12.41	09/2016
	रा०आयु०चिकि० शंकरपुर का निर्माण (नैनिदांडा)	41.85	31.20	10.65	03/2018
	रा० आयु० चिकि० दौंड का निर्माण (बीरोंखाल)	43.22	42.05	1.17	03/2017
स्वास्थ्य विभाग	प्रा० स्वा० केंद्र कलालघाटी में आवा०/अना० भवन(दुगड्डा)	219.79	215.35	4.44	12/2016
पशुपालन विभाग	पशुसेवा केंद्र सार यमकेश्वर	18.87	15.10	3.77	03/2017
	पशुचिकित्सालय रिखणीखाल में आवासीय भवन टाइप –चार(1 न०) का निर्माण कार्य	29.76	23.59	6.17	03/2018
शिक्षाविभाग	रा० उ० मा० वि० आसौ में विज्ञान प्रयोग शाला नैनिदांडा	11.48	10.91	0.57	07/2017
	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनिदांडा	29.15	27.09	2.06	02/2017
	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारीखाल	27.99	22.10	5.89	10/2017
	रा०इ०कालेज थल्दा में कक्षा कक्ष (जहरीखाल)	10.00	8.50	1.5	08/2017
	स्व० घनश्याम इ०का० असंखेत में अनुरक्षण /निर्माण कार्य (जहरीखाल)	49.49	46.44	3.05	06/2013
	रा०इं०का० जहरीखाल में भवन मरम्मत (जहरीखाल)	17.03	13.01	4.02	12/2013
रमसा	रा०उ०मा०वि० तल्लाबनास में मुख्य भवन का निर्माण	51.37	48.00	3.37	03/2016
खेल	राजकीय स्टेडियम कोटद्वार का जीर्णोद्धार एवं अवशेष कार्य	50.14	43.73	6.41	02/2018
	राजकीय स्टेडियम कोटद्वार का बाड़ सुरक्षा/बेडमिन्टन कोर्ट व अन्य कार्य	70.95	62.38	8.57	03/2017
सीमांत क्षेत्र	पशु औषधालय भवन का निर्माण दुधार खाल	12.75	10.13	2.62	02/2018
पंचायती राज	लक्ष्मण झूला कैम्प कार्यालय में मरम्मत कार्य	6.04	5.70	0.34	07/2018
स्वास्थ्य विभाग	प्रा०स्वा०केंद्र भवन कालालघाटी का निर्माण कार्य दुगड्डा	219.79	217.43	2.36	06/2016
पर्यटन	ग्राम ग्रास्टन के पार्क निर्माण	10.00	5.17	4.83	03/2018
योग				**93.91**	

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-03- रु. 7.73 लाख का निष्फल तथा ठेकेदार से रु. 6.94 लाख की लंबित वसूली

(i) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विध्यालय, पुंडेरगाँव (जहरीखाल) मे 02 कक्षा कक्ष का निर्माण कार्ये किया जाना था। इस कार्ये हेतु शिक्षा विभाग द्वारा रु.10.00 लाख की धनराशि अप्रैल 2014 मे इकाई को निर्माण कार्ये हेतु उपलब्ध करा दी गयी थी। धनराशि उपलब्ध कराते समय ग्राहक विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि कार्ये को वर्तमान वित्तीय वर्ष मे पूर्ण कर लिया जाए तथा उसकी देयता आगामी वर्ष के लिए शेष नहीं रखी जाएगी । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उपरोक्त कार्ये हेतु ग्राहक विभाग के निर्देशों की अवहेलना कर काफी विलंब से दिनांक 18.03.15 को अनुबंध (03/एइ/2014-15)गठित किया गया जिसके अनुसार 17.08.2015 तक निर्माण कार्ये पूरा किया जाना था। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ठेकेदार द्वारा लिंटर तक ही कार्ये किया गया, जिसका भुगतान तृतीय बिल (08.03.2016) के माध्यम से रु.7,73,079/-का किया गया, उसके पश्चात ठेकेदार द्वारा कोई कार्ये नहीं किया जा रहा था एवं उक्त निर्माण कार्ये विगत 2.5 वर्षों से बंद पड़ा था। उल्लेखनीय है कि इतनी लंबी अवधि से ठेकेदार द्वारा कार्ये बंद कर देने के बाद भी इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी। नियमानुसार अनुबंध के साथ संलग्न GPW-9 के क्लाज 4.5 के अनुसार देरी से कार्ये करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्येवाही करते हुए 10% एल डी (अनुबंधित धनराशि की 10% धनराशि अर्थात रु. 99.04 हज़ार) अधिरोपित कर उसके तृतीय चालू देयक से वसूल की जानी चाहिये थी साथ ही ठेकेदार द्वारा कार्ये अधूरा छोड़ा जाने पर तत्काल अनुबंध का अंतिमिकरण कर ठेकेदार से प्राप्त 5% जमानत प्रतिभूति की धनराशि एवं 5% परफॉर्मेंस गारंटी की धनराशि(कुल रु.99.04 हजार) जब्त की जानी चाहिये थी तथा इस कार्ये को तत्काल किसी अन्य ठेकेदार से पूर्ण कराया जाना चाहिये था । परंतु विभाग द्वारा कोई समुचित कदम न उठाये जाने से इस कार्ये पर किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ । लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि अनुबंध का अंतिमिकरण करने के लिए ठेकेदार को पत्र लिखा गया है ,परंतु वह उपस्थित नहीं हुआ है एवं अनुबंध का अंतिमिकरण कर दूसरे ठेकेदार से कार्ये पूर्ण करने की कार्येवाही शीघ्र ही की जाएगी । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा कार्ये बंद हो जाने के ढाई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी कोई कोई सकारात्मक कार्येवाही नहीं की गयी थी जिस कारण इस कार्ये पर किया गया व्यय रु.7.73 लाख का व्यय अलाभकारी साबित हुआ ।

(ii) इसी प्रकार राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक मे कांडाखाल-चेलूसैन मोटर मार्ग के बिरमोलीखाल तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त मार्ग

निर्माण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2014-15 के अंतर्गत 130.17 लाख की धनराशि आवंटित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्ये के अंतर्गत प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधिशासी अभियंता ,ग्रामीण निर्माण विभाग कोटद्वार उत्तराखंड द्वारा रु.96.85 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त कार्ये के अंतर्गत कुल 1.275 किमी0 लंबाई मे 5.20 मी. चौड़ाई का पहाड़ कटान का कार्ये किया जाना था । उक्त कार्ये के प्रथम भाग मे पहाड़ कटान के अतिरिक्त Retaining wall, Breast wall, Cross drainage एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के साथ पूरी लंबाई मे जी-1 बिछाया जाना था । भाग प्रथम के कार्ये करने के लिए कार्ये को 02 जाबों मे बांटा गया तथा प्रत्येक जॉब के लिए अधिशासी अभियंता स्तर का अनुबंध किया गया । प्रत्येक अनुबंध के अंतर्गत कार्ये 05 फरवरी 2016 को प्रारम्भ कर क्रमशः 04 मई एवं 04 जून 2016 को समाप्त किया जाना था । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि प्रत्येक अनुबंध के अंतर्गत कार्ये को निर्धारित अवधि मे पूरा न कर 13 माह से लेकर 15 माह की अवधि के विलंब से पूरा किया गया था । चूंकि समस्त कार्ये अनुबंधित अवधि मे पूरे न किए जाकर काफी बिलंब से सम्पन्न किए गए अतः अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 sub section 4.5 के अनुसार देर से कार्ये पूर्ण करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्येवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि (रु 4.96 लाख) एल डी के रूप मे अधिरोपित कर उसके देयकों से वसूल की जानी चाहिए थी, परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही न कर उक्त ठेकेदारों को अंतिम भुगतान कर दिया गया था । लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि समयवृद्धि का प्रकरण 0.5% अर्थदण्ड सहित मुख्य अभियंता स्तर -1 के यहाँ भेजा गया है जिस पर स्वीकृति आनी बाकी है । उत्तर मान्य नहीं है क्योकि समयवृद्धि की अनुमति कार्ये करने के दौरान ही प्राप्त की जानी चाहिये थी अब जबकि ठेकेदार को अंतिम भुगतान हो चुका है इस कार्येवाही का कोई औचित्य नहीं है। तथा प्रकरण (i) मे स्वीकार किया कि अनुबंध का अंतिमिकरण करते समय ठेकेदार की जमानत धनराशि से उक्त धनराशि वसूल की जाएगी। अतः रु.7.73 लाख के अलाभकारी व्यय तथा ठेकेदार से रु 6.94 लाख(1.98+4.96 लाख) की वसूली का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
100/2014-15	शून्य	01,02,03	-
47/2016-17	शून्य	01,02,03,04,05	-
87/2017-18	शून्य	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अद्यतन अनुपालन तैयार नहीं किया जाने के कारण प्रस्तर यथावत् रहेगें।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	ई. हितेश पाल सिंह	अधिशासी अभियन्ता	12.08.2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.